

फर्द अहकाम  
(नियम 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर (शाहपुरा)

मदन लाल पिता हरजी भीणा निवासी-गोरमगढ़

बनाम

रामकुमार पुत्र भूरा भीणा निवासी-गोरमगढ़, चमैरा

किरम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 आर. एल.आर.ए. मुकदमा नं. 42/2024  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
28.05.24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की ग्राम गोरमगढ़, प.ह. गाड़ोली तहसील-जहाजपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 225/1 रकबा 0.8094, आराजी खसरा संख्या 414 रकबा 0.0890, आराजी खसरा संख्या 469 रकबा 0.1376, आराजी खसरा संख्या 472 रकबा 0.5099, आराजी खसरा संख्या 489 रकबा 0.0567, आराजी खसरा संख्या 490 रकबा 0.2185, आराजी खसरा संख्या 632 रकबा 0.1457, आराजी खसरा संख्या 636 रकबा 0.2185, आराजी खसरा संख्या 637 रकबा 0.2752, आराजी खसरा संख्या 846 रकबा 0.0324, आराजी खसरा संख्या 865 रकबा 0.2509, आराजी खसरा संख्या 869 रकबा 0.2185 कुल कित्ता 12 रकबा 2.9623 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्मत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111, 128 रा.ले. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम गोरमगढ़, प.ह. गाड़ोली तहसील-जहाजपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 225/1 रकबा 0.8094, आराजी खसरा संख्या 414 रकबा 0.0890, आराजी खसरा संख्या 469 रकबा 0.1376, आराजी खसरा संख्या 472 रकबा 0.5099, आराजी खसरा संख्या 489 रकबा 0.0567, आराजी खसरा संख्या 490 रकबा 0.2185, आराजी खसरा संख्या 632 रकबा 0.1457, आराजी खसरा संख्या 636 रकबा 0.2185, आराजी खसरा संख्या 637 रकबा 0.2752, आराजी खसरा संख्या 846 रकबा 0.0324, आराजी खसरा संख्या 865 रकबा 0.2509, आराजी खसरा संख्या 869 रकबा 0.2185 कुल कित्ता 12 रकबा 2.9623 हैक्टर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500/-रूपये तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100/-रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला-शाहपुरा

क्रमांक / सीडर / 2024 / 421 / 2024

दिनांक :- 29. 6. 2024

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्रसं. 421 / 24 अनवान मदन लाल पिता हरजी मीणा निवासी-गोरमगढ़ बनाम रामकुमार पुत्र भूरा मीणा निवासी-गोरमगढ़, नेपाल पुत्र भूरा मीणा निवासी-गोरमगढ़, पुष्कर पिता रामदेव मीणा निवासी-गोरमगढ़, श्याम लाल पुत्र कुरीलाल मीणा निवासी-गोरमगढ़, रामकुमार पुत्र हजारी मीणा निवासी-गोरमगढ़, पुरण पुत्र किशोर मीणा निवासी-गोरमगढ़, रामसिंह पुत्र छोदू मीणा निवासी-गोरमगढ़, गोपाल पुत्र हरनाथ मीणा निवासी-गोरमगढ़, नाना लाल पुत्र कल्याण मीणा निवासी-गोरमगढ़, रामनारायण पुत्र धीसा लाल रेगर निवासी-गोपीपुरा, फेपाराम पुत्र छोगा मीणा निवासी-गोरमगढ़, सोराज पुत्र जगनाथ मीणा निवासी-गोरमगढ़, नन्दा पुत्र रामनारायण मीणा निवासी-गोरमगढ़, शंकर लाल पुत्र बरदा मीणा निवासी-गोरमगढ़, फुलचन्द पुत्र सकराम मीणा निवासी-गोरमगढ़, रणजीत पुत्र लादू लाल मीणा निवासी-गोरमगढ़, बंशी पुत्र हुक्मा मीणा निवासी-गोरमगढ़, सुरजमल पुत्र कजोड़ मीणा निवासी-गोरमगढ़, नाना लाल पुत्र हजारी मीणा की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम गोरमगढ़, प.ह. गाड़ोली तहसील-जहाजपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 225/1 रकबा 0.8094, आराजी खसरा संख्या 414 रकबा 0.0890, आराजी खसरा संख्या 469 रकबा 0.1376, आराजी खसरा संख्या 472 रकबा 0.5099, आराजी खसरा संख्या 489 रकबा 0.0567, आराजी खसरा संख्या 490 रकबा 0.2185, आराजी खसरा संख्या 632 रकबा 0.1457, आराजी खसरा संख्या 636 रकबा 0.2185, आराजी खसरा संख्या 637 रकबा 0.2752, आराजी खसरा संख्या 846 रकबा 0.0324, आराजी खसरा संख्या 865 रकबा 0.2509, आराजी खसरा संख्या 869 रकबा 0.2185 कुल किता 12 रकबा 2.9623 हैक्टयर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 1500/-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/सम्मन भेजकर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी आदेश पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)